भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2784

मंगलवार, 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कारोबार करने में सुगमता

2784. श्री शफी परम्बिलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अभी भी कारोबार करने में सुगमता के संदर्भ में राज्यों की रैंकिंग का अनुसरण करती है;

(ख) यदि हां, तो कारोबार करने में सुगमता श्रेणी के अंतर्गत राज्यों की रैंकिंग के मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकारों की व्यापार-हितैषी नीतियों की रैंकिंग हेतु कोई मानदंड स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों की उनकी कारोबार हितैषी नीतियों के लिए रैंकिंग हेतु नए मानदंडों का ब्यौरा क्या है और नए मानदंडों के अंतर्गत राज्यों की रैंकिंग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): केंद्र सरकार ने भारत में व्यवसायिक परिवेश को बेहतर बनाने, निवेश आकर्षित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल विनियामक फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) के तहत निरंतर कार्य किया है। इस पहल के भाग के रूप में, देश के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) का मूल्यांकन, निम्नलिखित चार प्रतिशत-आधारित श्रेणियों में उनके द्वारा निर्दिष्ट सुधार मापदंडों के कार्यान्वयन के आधार पर किया जाता है:

i. टॉप अचीवर्स: जो 90% से अधिक स्कोर करते हैं

ii. अचीवर्स: जो 80% से 90% के बीच स्कोर करते हैं

iii. फास्ट मूवर्स: जो 70% से 80% के बीच स्कोर करते हैं

iv. एस्पायरर्स: जो 70% से कम स्कोर करते हैं

व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2024 में इन श्रेणियों का निर्धारण किया गया है, जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत करने को 30% और उपयोगकर्ता फीडबैक को 70% की भारिता दी गई है।

बीआरएपी 2022 सर्वेक्षण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणियों का ब्यौरा

<table>
<tr><td colspan="2">वाई श्रेणी
(जिसमें स्थापित व्यवसाय और नागरिक-केंद्रित प्रणालियों वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं)</td></tr>
<tr><td colspan="2">बी2जी
(व्यवसाय केंद्रित सुधार)</td></tr>
<tr><td>श्रेणी</td><td>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</td></tr>
<tr><td>फास्ट मूवर</td><td>गुजरात</td></tr>
<tr><td>एस्पायरर्स</td><td>आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा, झारखंड, राजस्थान, असम, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर</td></tr>
<tr><td colspan="2">सी2जी
(नागरिक केंद्रित सुधार)</td></tr>
<tr><td>श्रेणी</td><td>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</td></tr>
<tr><td>एस्पायरर्स</td><td>केरल, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, पंजाब</td></tr>
<tr><td colspan="2">एक्स श्रेणी
(असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य और दिल्ली को छोड़कर संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं)</td></tr>
<tr><td colspan="2">बी2जी
(व्यवसाय केंद्रित सुधार)</td></tr>
</table>

श्रेणी	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
एस्पायरर्स	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, त्रिपुरा, चंडीगढ़, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, पुदुच्चेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश
सी2जी **(नागरिक केंद्रित सुधार)**	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
एस्पायरर्स	चंडीगढ़, दमन एवं दीव, मेघालय, अंडमान, त्रिपुरा, पुदुच्चेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर

*****